न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 30/2016

घनश्याम जोशी पुत्र स्व0 शंकरलाल जोशी जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ, हाल निवासी गुरू प्रताप जीन, लकडगंज, अकोला (महाराष्ट्र) ....**अपीलान्ट**

बनाम

1.. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) किशनगढ, जिला अजमेर।

.....**रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री विभौर गौड — अभिभाषक अपीलान्ट
2.. श्री शुभकरण सिंह चौधरी — राजकीय अभिभाषक

आदेश **दिनांक :– 20.06.2018**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रलावता तहसील किशनगढ जिला–अजमेर के खसरा नं0 449, 510, 586, 706 व 807 के रिकार्डेड खातेदार स्व0 सत्यनारायण पुत्र स्व0, ब्रदीनारायण जाति ब्राहम्ण के देहान्त के पश्चात उनके द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर अपीलान्ट द्वारा स्वयं के हक में नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार किशनगढ द्वारा इस पर "मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के भूमि पैतृक है, संग्रहित करें" का आदेश पारित किया गया। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार के इसी आदेश दिनांक 25.8.2014 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष की बहस अपील सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। उन्हौने कहा कि ग्राम रलावता तहसील किशनगढ जिला–अजमेर के खसरा नं0 449, 510, 586, 706 व 807 के 1/2 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार स्व0 सत्यनारायण पुत्र स्व0 ब्रदीनारायण जाति ब्राहम्ण द्वारा उक्त आराजी में अपने 1/2 हिस्से में से 1/6 हिस्से की वसीयत दिनांक 20.10.2008 को दो गवाहों के समक्ष अपीलान्ट (भतीजे) के पक्ष में निष्पादित की गई। उनके देहान्त के पश्चात उनके द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर अपीलान्ट द्वारा उनके हक में नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार किशनगढ द्वारा इस पर "मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के भूमि पैतृक है, संग्रहित करें" का आदेश पारित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक विवेचना के पटवारी रिपोर्ट को आधार बनाकर भूमि पैतृक मानते हुए आक्षेपित आदेश दिनांक 25.08.2014 से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया, जो विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होने से मान्य नहीं है। खातेदार कृषक की मृत्यु के बाद जो वसीयत (इच्छा पत्र) नामान्तरकण के लिए प्रस्तुत हो, उसकी इस बिन्दु पर जांच करना आवश्यक नहीं है कि वसीयत पंजीकृत है अथवा अपंजीकृत है। वसीयत का दो गवाहों द्वारा प्रमाणीकरण होना आवश्यक है। विधि अनुसार ऐसी वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

तस्दीक किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपील, अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर उक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 25.8.2014 को निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में स्व0 सत्यनारायण जोशी के स्थान पर अपीलान्ट के पक्ष में विधिसम्मत नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश न्यायहित मे प्रदान फरमावें।

अभिभाषक अपीलान्ट की बहस के जवाब में उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने मुख्यतः निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा जिस खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर अपने हक में दर्ज किये जाने का उल्लेख किया गया है, वह वसीयतकर्ता की स्वअर्जित सम्पति न होकर पैतृक सम्पति है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश न्यायोचित है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं रेकार्ड पत्रावली का उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार सत्यनारायण पुत्र बद्रीनारायण कौम ब्राहम्ण द्वारा ग्राम रलावता की प्रश्नगत आराजी में अपने निहित हक हिस्से की वसीयत अपने भतीजे घनश्यामदास शंकरलाल जोशी पुत्र श्री शंकरलाल श्रीकिशन जोशी हाल निवासी आकोला (महाराष्ट्र) के हक में निष्पादित की गई है जो दिनांक 20.10.2008 को नोटेरी द्वारा तस्दीक की गई है। इस वसीयत में वसीयकर्ता द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि इस वसीयतशुदा खातेदारी भूमि को मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा भतीजा घनश्याम शंकरलाल जोशी अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा सकेगा। मेरे पुत्र मधुसुदन सत्यनारायण जोशी एवं महेश सत्यनारायण जोशी इस बाबत कोई दावा नहीं कर पायेगें। वसीयत के आधार पर अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करवाने का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढ द्वारा मुख्यतः इस आधार पर संग्रहित (अस्वीकार) किया गया कि भूमि पैतृक है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39 (5), के मुताबिक स्वयं द्वारा अर्जित या पैतृक सम्पति दोनों प्रकार की सम्पति की विल की जा सकती है तथा 39 (6) (क)(i) के मुताबिक एक पिता अपनी सम्पति का विल द्वारा व्ययन कर सकता है, चाहे वह स्व अर्जित हो या पैतृक तथा (ii) एक सहदायकि संयुक्त परिवार की सम्पति में से अपने हित का पूर्णरूपेण से विल द्वारा व्ययन किया जा सकता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार किशनगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.06.2014 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39 के तहत मामले का गहन अध्ययन एवं परीक्षण कर नये सिरे से गुणावगुण पर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर,
अजमेर